''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 161] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 14 जुलाई 2005—आषाढ़ 23, शक 1927

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 14 जुलाई, 2005 (आषाढ़ 23, 1927)

क्रमांक-8617/विधान/2005.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के अधीन छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) पुर:स्थापन के पूर्व जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ विधेयक

(क्रमांक 16 सन् 2005)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2005

वित्तीय वर्ष 2005-2006 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये विधेयक.

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो :—

संक्षिप्त नाम.

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2005 है.

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिये राज्य की संचित निधि में से 519, 17, 91, 796 रुपयों का दिया जाना.

2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग पांच सौ उन्नीस करोड़, सत्रह लाख, इक्यानबे हजार, सात सौ छियानबे रुपया होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिये, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के बाबत वित्तीय वर्ष 2005-2006 के दौरान दिये जाने होंगे और उपयोजित की जा सकेंगे.

विनियोग.

3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएं.

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)			(3)	
			रुपये	रुपये	रुपये
01.	सामान्य प्रशासन	राजस्व	60,80,100	18,19,196	78,99,296
03.	पुलिस	राजस्व	32,00,100	0	32,00,100
06.	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	17,76,000	0	17,76,000
07.	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	8,68,00,200	0	8,68,00,200
08.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	4,00,600	0	4,00,600
10.	वन	राजस्व	18,50,00,000	0	18,50,00,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
11.	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	100	0	100
		पूंजी	3,00,00,000	0	3,00,00,000
12.	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	9,78,10,000	0	9,78,10,000
13.	कृषि	राजस्व	19,09,51,300	0	19,09,51,300
14.	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	35,00,000	0	35,00,000
15.	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	1,75,00,000	0	1,75,00,000
17.	सहकारिता	पूंजी	1,97,00,000	0	1,97,00,000
18.	श्रम	राजस्व	500	0	500
19.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	36,67,100	0	36,67,100
20.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	50,00,200	0	50,00,200
21.	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	1,12,50,000	0	1,12,50,000
23.	जल संसाधन विभाग	पूंजी	24,00,000	0	24,00,000
24.	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूंजी	5,45,00,000	0	5,45,00,000
27.	स्कूल शिक्षा	राजस्व	3,60,96,300	0	3,60,96,300
28.	राज्य विधान मंडल	राजस्व	1,05,00,000	0	1,05,00,000
29.	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	1,16,00,000	0	1,16,00,000
30.	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	6,95,30,100	0	6,95,30,100
31.	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	1,07,20,000	0	1,07,20,000
36.	परिवहन	राजस्व	1,15,00,000	0	1,15,00,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
38.	बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान.	राजस्व	17,00,00,000	0	17,00,00,000
39.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	4,35,000	0	4,35,000
		पूंजी	1,50,00,000	0	1,50,00,000
40.	आयाकट विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	4,00,000	0	4,00,000
		पूंजी	2,00,00,000	0	2,00,00,000
41.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	राजस्व	31,49,19,300	0	31,49,19,300
		पूंजी	6,10,00,300	0	6,10,00,300
42.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल.	पूंजी	2,00,00,000	0	2,00,00,000
44.	उच्च शिक्षा	राजस्व	10,03,99,000	0	10,03,99,000
45.	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	राजस्व	30,00,500	0	30,00,500
		पूंजी	11,45,00,000	0	11,45,00,000
46.	विज्ञान और टेक्नालाजी	राजस्व	25,00,000	0	25,00,000
47.	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग.	राजस्व	1,13,00,000	0	1,13,00,000
55.	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	राजस्व	32,38,08,400	0	32,38,08,400
56.	ग्रामोद्योग	राजस्व	62,17,800	0	62,17,800
58.	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय.	राजस्व	79,44,00,000	0	79,44,00,000
60.	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	पूंजी	4,79,78,000	0	4,79,78,000
64.	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना.	राजस्व	5,36,54,100	0	5,36,54,100
		पूंजी	1,39,75,000	0	1,39,75,000
65.	विमानन विभाग	राजस्व	26,70,500	0	26,70,500
66.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	1,66,03,000	0	1,66,03,000
67.	लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व	23,00,00,000	0	23,00,00,000
		पूंजी	5,18,55,000	0	5,18,55,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
68.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन.	पूंजी	1,48,00,000	0	1,48,00,000
79.	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	16,50,68,000	0	16,50,68,000
80.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	1,19,36,01,000	0	1,19,36,01,000
81.	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	17,60,00,000	0	17,60,00,000
		पूंजी	3,00,00,000	0	3,00,00,000
82.	आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	36,64,05,100	0	36,64,05,100
	योग	**राजस्व**	**4,69,42,64,300**	**18,19,196**	**4,69,60,83,496**
		पूंजी	**49,57,08,300**	**0**	**49,57,08,300**
	वृहद योग		**5,18,99,72,600**	**18,19,196**	**5,19,17,91,796**

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के साथ पठित उसके अनुच्छेद 204 (1) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुर:स्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर अनुपूरक भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिये विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर

तारीख 11 जुलाई 2005

अमर अग्रवाल
वित्त मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.